

निविदा फार्म

(Dated 25-08-2022)

(पुराने अखबार व मैगजीन की बिक्री)

(TENDER DOCUMENT)

(TENDER OF OLD NEWSPAPER AND MAGAZINE)

2022-2023



भारतीय गेहूं एवं जौ अनु. संस्थान

(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)

पोस्ट बॉक्स न. 158, अग्रसैन मार्ग, करनाल

**ICAR-INDIAN INSTITUTE OF WHEAT AND BARLEY  
RESEARCH,**

INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
POST BOX NO. 158, AGGRASAIN MARG, KARNAL  
(An ISO 9001:2015 Certified organization)

**-:कार्यालय:-**

पोस्ट बॉक्स न. 158, अग्रसैन मार्ग करनाल

ई.पी.बी.ए.एक्स. न. :0184-2267390

Tel:0184-2267490, 2266762

POST BOX NO. 158, AGGRASAIN MARG, KARNAL

Fax: 0184-2267390, Tel: 0184-2267490, 2266762



भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान  
पोस्ट बैग न. 158, अग्रसैन मार्ग करनाल-132001



निविदा फार्म

निविदा फार्म जमा करने कि तिथि -25-08-2022 से 09-09-2022 (01:00PM तक)

निविदा खोलने कि तिथि -09-09-2022 (2:00 PM)

1. "जहा है जैसे है" के आधार पर पुराने अखबार व मैगजीन की खरीद ।
2. जमा बयाना राशि: 1000/- (शब्दों मे रू. एक हजार मात्र) ।
3. डिमांड ड्राफ्ट न. ----- दिनांक-----
4. राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम -----
5. प्रस्तावित कुल धनराशि----- (शब्दों मे रु -----)

| क्रमांक           | सामग्री का विवरण | राशि / मूल्य रू. में प्रति किलो के हिसाब से |
|-------------------|------------------|---|
| 1                 | पुराने अखबार     |   |
| 2                 | पुरानी मैगजीन    |   |
| कुल राशि (रू में) |                  |   |

मैं अधोहस्ताक्षरी ने समस्त पुराने अखबार व मैगजीन का निरीक्षण स्वयं किया है, मुझे निविदा की समस्त शर्तें मंजूर हैं।

दिनांक :-----

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर: -----

मोहर/ स्टंप के साथ:-----

निविदाकर्ता का नाम -----

पूरा पता /फ़ोन न./ फ़ैक्स नं. /मो. न./आधार नं/ फर्म का GST नं/ ईमेल -----

-----

-----



भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान  
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)  
पोस्ट बॉक्स न.158, अग्रसेन मार्ग करनाल-132001



निविदा द्वारा बिक्री की शर्तें

Dt. 25-08-2022

निविदा फार्म :-

1. विधिवत हस्ताक्षरित निविदा पत्र मोहर बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए लिफाफे पर विज्ञापन का विवरण और निविदाकार का नाम उल्लेख होना चाहिए अन्यथा निविदा पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।
2. मोहर बंद लिफाफे ऑफिस reception में रखी निविदा पेटी में डालें जाए।
3. अधिसूचित समय दिनांक 25.08.2022 को सुबह 10.30 बजे से 09.09.2022 को सांय 1.00 बजे तक समाप्त होने के बाद निविदायें अस्वीकार कर दी जाएंगी।
4. निदेशक भा. गे. एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल को सबसे अधिक दाम वाली निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है।
5. निविदा कारों को निविदा के साथ निदेशक भा.गे.जौ. अनु. सं., करनाल (Director, ICAR-IIWBR, Karnal) के नाम के राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा किसी अन्य रूप में ब्याना स्वीकार नहीं किया जाएगा ऐसी निवदाएं तथा बिना ब्याने के निविदायें अस्वीकृत की जाएंगी।
6. ब्याना राशी (EMD) रु. 1000/- होगी जो डिमांड ड्राफ्ट द्वारा स्वीकार की जाएगी, डिमांड ड्राफ्ट (Director, ICAR-IIWBR, Karnal) के नाम बनवायें।
7. जहां है जैसा है के आधार पर पुराने अखबार व मैगजीन की बिक्री का प्रस्ताव है संस्थान में आकर सामान निरीक्षण के उपरांत ही संपूर्ण मूल्य का उल्लेख करना है। केवल बताये गए पुराने अखबार व मैगजीन की ही जहां है जैसा है क आधार पर बिक्री की जाएगी।
8. सभी पुराने अखबार व मैगजीन बेघते समय यह मान लिया गया है की निविदा प्रस्तुत करने से पहले सभी पुराने अखबार व मैगजीन का निरीक्षण कार्यालय करनाल में आकर कर लेवें खरीददार को चेतावनी दी जाती है कि खरीदने की पुरी जिम्मेदारी और जाखिम उसी का होगी किसी विवरण पर भरोसा न किया जाए और इस विषय में किसी शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. अधिक दाम लगाने वाले खरीददार को पुराने अखबार व मैगजीन को उठाने के लिए समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी। पुराने अखबार व मैगजीन को देखने का समय कार्यालयीन समय में दिनांक 25.08.2022 से 09.09.2022 दोपहर बाद 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक रहेगा। सामान ले जाने के लिए खरीददार को पत्र द्वारा अनुमति दी जाएगी। खरीददार को पुराने अखबार व मैगजीन उठाने से पहले बाकी राशि का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा पत्र जारी होने के तीन दिन के अंदर करना होगा, माल उठाने का समय निलामी आदेश जारी होने के तिथि से दस दिन रहेगा।
10. सफल बोलीदाता यह सुनिश्चित करे कि सभी पुराने अखबार व मैगजीन को उठाने और निपटान की प्रक्रिया प्रयावरण अनुकूल एवं सरकारी नियमों के अनुसार हो।
11. दस दिन के अंदर पुराने अखबार व मैगजीन को उठाना होगा। निर्धारित समय पर पुराने अखबार व मैगजीन नहीं उठाया गया तो जमा की गई ब्याना राशि जब्त की जाएगी।
12. असफल क्रेताओं को ब्याना राशि का डिमांड तीन दिन के बाद ड्राफ्ट वापिस किया जाएगा।
13. निदेशक, भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल को बिना कोई कारण बताए बोलियों को कैंसिल करने का अधिकार रहेगा।

रमेश  
25/08/22  
सहायक प्रशासनिक अधिकारी